संख्या –1051/XXIII-1/2021–4(02)/2013

संयुक्त आयुक्त (लाईसेंसिंग)

29/11/2021

अपर आबकारी आयुक्त

576

29/11/2021

प्रेषक,

सचिन कुर्वे,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आबकारी अनुभाग

देहरादूनः दिनांक 26 नवम्बर, 2021

विषयः हवाई अड्डा पर ड्यूटी पेड लिकर शॉप स्वीकृत किये जने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–9011/सात–लाई/दिनांक 08.10.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड आबकारी (विदेशी मदिरा के प्रीमियम रिटेल वैण्डस शापिंग माल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर/हवाई अड्डा में स्थित दुकान के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (प्रथम संशोधन) नियमावली–2021 के प्रख्यापन का प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया है।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना संख्या–878/XXIII–1/4(02)2013 दिनांक 26 नवम्बर, 2011 के माध्यम से प्रख्यापित उत्तराखण्ड आबकारी (विदेशी मदिरा के प्रीमियम रिटेल वैण्डस शापिंग माल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर/हवाई अड्डा में स्थित दुकान के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (प्रथम संशोधन) नियमावली–2021 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। प्रकरण में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पादित करना सुशिचित करें।

संलग्नकःयथोपरि।

प्र०आ०अ० / I.T. अनुभाग
कृपया उक्त अधिसूचना को DEO Notification एवं Public Domain में upload करें।
30/11/21

भवदीय

(सचिन कुर्वे)
सचिव।

Scanned with CamScanner

प्रति 26/11/2021

उत्तराखण्ड शासन
आबकारी अनुभाग
संख्याः 878/XXIII-1/2021–04(02)/2013
देहरादूनः दिनॉकः 26 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 01 वर्ष 1904) (समय–समय पर यथा संशोधित एवं उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 (अधिनियम संख्या 04 वर्ष 1910) (समय–समय पर यथा संशोधित एवं उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा–40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तराखण्ड आबकारी (विदेशी मदिरा के प्रीमियम रिटेल वैण्डस शापिंग माल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2013 में अग्रेत्तर सशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (i) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आबकारी (विदेशी मदिरा के प्रीमियम रिटेल वैण्डस शापिंग माल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर/हवाई अड्डा में स्थित दुकान के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (प्रथम संशोधन) नियमावली–2021 कही जायेगी।

(ii) यह नियमावली निर्गत् होने के तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. उत्तराखण्ड आबकारी (विदेशी मदिरा के प्रीमियम रिटेल वैण्डस शापिंग माल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2013 (समय–समय पर यथा संशोधित एवं उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) के नीचे स्तम्भ–1 में अंकित नियम–2(1), 2(2), 3(क), 4, 7(1)(एक), 8, 11, 13, 14 एवं 15 के स्थान पर स्तम्भ–2 में अंकित नियम–2(1), 2(2) 2(3), 3(क), 4, 7(1)(एक), 8, 11, 13, 14 एवं 15 रखे जायेंगेः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भं	नियम	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
परिभाषा	2.	**(1) मॉल्सः–** "शॉपिंग मॉल्स" से पूर्णतः आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण ईमारत या ईमारतों का समूह जो एक दूसरे से जुड़े हों, ग्राहकों की आवाजाही के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराते हों एवं जिनके परिसर में ही पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान हो, के रूप में की जा सकती है, अभिप्रेत है; (एक) "प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिंग मॉल्स" से परिसर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ऐसे कमर्शियल काम्पलैक्स जिनमें दुकानें एवं फूडकोर्ट सम्मिलित है, जिन्हें सामान्य बोल–चाल की	**2(1) मॉल्सः–** "शॉपिंग मॉल्स" से पूर्णतः आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण ईमारत या ईमारतों का समूह जो एक दूसरे से जुड़े हों, ग्राहकों की आवाजाही के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराते हों एवं जिनके परिसर में ही पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान हो, के रूप में की जा सकती है, अभिप्रेत है; (एक) "प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिंग मॉल्स" से परिसर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ऐसे कमर्शियल काम्पलैक्स जिनमें दुकानें एवं फूडकोर्ट सम्मिलित है, जिन्हें सामान्य बोल–चाल की भाषा में

Scanned with CamScanner

		भाषा में शॉपिंग मॉल कहा जाता है, अभिप्रेत है;	शॉपिंग मॉल कहा जाता है, अभिप्रेत है;
		(दो) प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिंग मॉल्स के लिये कम से कम 400 वर्ग फीट कार्पेट एरिया का परिसर आवश्यक होगा, जो मॉल की सामान्य रूप से निर्मित दुकान मे होगा तथा क्योस्क (Kiosk) अथवा अस्थाई ढांचे (Temporary Structure) में नहीं होगा। किसी मॉल में 15 दुकानों तक दो मदिरा की दुकानों व 15 दुकानों से अधिक होने पर अधिकतम 03 मदिरा की दुकानों का अनुज्ञापन प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त पर दिया जा सकेगा।	(दो) प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिंग मॉल्स के लिये कम से कम 400 वर्ग फीट कार्पेट एरिया का परिसर आवश्यक होगा, जो मॉल की सामान्य रूप से निर्मित दुकान मे होगा तथा क्योस्क (Kiosk) अथवा अस्थाई ढांचे (Temporary Structure) में नहीं होगा। किसी मॉल में 15 दुकानों तक दो मदिरा की दुकानों व 15 दुकानों से अधिक होने पर अधिकतम 03 मदिरा की दुकानों का अनुज्ञापन प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त पर दिया जा सकेगा।
		(2) डिपार्टमेंटल स्टोरः– डिपार्टमेंटल स्टोर से ऐसे स्टोर अभिप्रेत है, एक बड़ी दुकान तथा जिसमें अलग–अलग प्रकार के सामानों/वस्तुओं की बिक्री की जाती हो, जिन्हें सामान्य बोल–चाल की भाषा में डिपार्टमेंटल स्टोर कहा जाता हो एवं जिनके स्वंय के परिसर में ही पार्किंग की व्यवस्था हो।	**(2) डिपार्टमेंटल स्टोरः–** डिपार्टमेंटल स्टोर से ऐसे स्टोर अभिप्रेत है, एक बड़ी दुकान तथा जिसमें अलग–अलग प्रकार के सामानों/वस्तुओं की बिक्री की जाती हो, जिन्हें सामान्य बोल–चाल की भाषा में डिपार्टमेंटल स्टोर कहा जाता हो एवं जिनके स्वंय के परिसर में ही पार्किंग की व्यवस्था हो।
		(1) प्रीमियम रिटेल वैण्डस् डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए कम से कम 1000 वर्ग फीट कार्पेट एरिया का परिसर आवश्यक होगा, जिसमें एक कार्यालय की व्यवस्था हो।	(1) प्रीमियम रिटेल वैण्डस् डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए कम से कम 1000 वर्ग फीट कार्पेट एरिया का परिसर आवश्यक होगा, जिसमें एक कार्यालय की व्यवस्था हो।
			(3) हवाई अड्डा में स्थिति दुकानः– हवाई अड्डा में स्थित दुकान ऐसे दुकान से अभिप्रेत है, जो कि भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण या उसकी अधिकृत इकाई द्वारा हवाई अड्डा के टर्मिनल में मदिरा के व्यवसाय करने के लिए आवंटित की गयी हो;
			(1) प्रीमियम रिटेल वैण्डस् हवाई अड्डा में स्थित दुकान के लिए कम से कम 400 वर्ग फीट का कक्ष होना आवश्यक होगा।

Scanned with CamScanner

फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन	3.	इस नियमावली और प्रीमियम रिटेल वैण्ड्स शॉपिंग मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर की लाईसेंस फीस की धनराशि के संदाय के अधीन रहते हुए लाईसेंसों का व्यवस्थापन निम्नवत् किया जायेगाः– (क) भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिये मुहरबन्द बोतलों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित श्रेणी की विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये लाईसेंस प्रपत्र वि०म०–5(म)/5(डी०एस०) में स्वीकृत किया जायेगा।	इस नियमावली और प्रीमियम रिटेल वैण्ड्स शॉपिंग मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर/हवाई अड्डा में स्थित दुकान की लाईसेंस फीस की धनराशि के संदाय के अधीन रहते हुए लाईसेंसों का व्यवस्थापन निम्नवत् किया जायेगाः– (क) भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिये मुहरबन्द बोतलों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित श्रेणी की विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये लाईसेंस प्रपत्र वि०म०–5(म)/5(डी०एस०)/5(ए०एस०) में स्वीकृत किया जायेगा।
प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिंग मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर के लिये आवेदन–पत्र	4.	आवेदक प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिंग मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर के लिये निर्धारित प्रपत्र जी–28 में आवेदन–पत्र प्रस्तुत करेगा।	आवेदक प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिंग मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर/हवाई अड्डा में स्थित दुकान के लिये निर्धारित प्रपत्र जी–28 में आवेदन–पत्र प्रस्तुत करेगा।
आवेदनकर्ता हेतु पात्रता की शर्तें	7	(1) प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिंग मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर के लाईसेंस के लिये आवेदक– (एक) यह उसके पास समय– समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबन्धों के अनुसार शॉपिंग मॉल/डिपार्टमेन्टल स्टोर में विदेशी मदिरा की प्रीमियम रिटेल वैण्ड्स खोलने के लिये उपयुक्त परिसर की व्यवस्था है या उसके या परिसर के स्वामी का सहमति पत्र अथवा ऑफर अथवा पट्टा विलेख उसके पास उपलब्ध है।	(1)प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिंग मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर/हवाई अड्डा में स्थित दुकान के लाईसेंस के लिये आवेदक– (एक) यह उसके पास समय– समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबन्धों के अनुसार शॉपिंग मॉल/डिपार्टमेन्टल स्टोर /हवाई अड्डा में स्थित दुकान में विदेशी मदिरा की प्रीमियम रिटेल वैण्ड्स खोलने के लिये उपयुक्त परिसर की व्यवस्था है या उसके या परिसर के स्वामी का सहमति पत्र अथवा ऑफर अथवा पट्टा विलेख उसके पास उपलब्ध है।
लाईसेंसधारी का चयन	8	ज़िला आबकारी अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों के आवश्यक सत्यापन के पश्चात् एक सूची तैयार करेगा और इन आवेदनों की सूची लाईसेंस प्राधिकारी के समक्ष रखेगा। लाईसेंस प्राधिकारी आवेदन पत्र पर यथावश्यक परीक्षण	जिला आबकारी अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों के आवश्यक सत्यापन के पश्चात् एक सूची तैयार करेगा और इन आवेदनों की सूची लाईसेंस प्राधिकारी के समक्ष रखेगा। लाईसेंस प्राधिकारी आवेदन पत्र पर यथावश्यक परीक्षण

Scanned with CamScanner

		कराकर उक्त प्रीमियम रिटेल वैण्डस् शॉपिंग मॉल्स/ डिपार्टमेन्टल स्टोर के सृजन हेतु आबकारी आयुक्त को प्रस्ताव प्रेषित करेगा। आबकारी आयुक्त से नवसृजन की स्वीकृति प्राप्त होने पर नियत लाईसेंस फीस जमा कराकर आवेदक के पक्ष में तत्काल लाईसेंस जारी कर दिया जायेगा।	कराकर उक्त प्रीमियम रिटेल वैण्डस् शॉपिंग मॉल्स/ डिपार्टमेन्टल स्टोर/हवाई अड्डा में स्थित दुकान के सृजन हेतु आबकारी आयुक्त को प्रस्ताव प्रेषित करेगा। आबकारी आयुक्त से नवसृजन की स्वीकृति प्राप्त होने पर नियत लाईसेंस फीस जमा कराकर आवेदक के पक्ष में तत्काल लाईसेंस जारी कर दिया जायेगा।
विक्रीत की जाने वाली विदेशी मदिरा	11	लाईसेंसधारी राज्य द्वारा निर्धारित ई0डीपी0 रूपये 300/– (प्रतिमान्य क्वार्ट बोतल 750 एम0एल0) से अधिक की ई0डी0पी0 की मदिरा की बिकी करेगा। एफ0एल0–05(एम)/एफ0एल0–5 (डीएस) से किसी भी धारिता की बोतलों में बिकी की जा सकेगी, रूपये 300/– प्रति बोतल (750 एम0एल0) ई0डी0पी0 की गणना उक्त धारिता के 750 एम0एल0 प्रति मान्य क्वार्ट बोतल के समतुल्य आधार पर की जायेगा। दुकान के परिसर में मदिरापान निषिद्ध होगा।	लाईसेंसधारी राज्य द्वारा निर्धारित ई0डीपी0 रूपये 400/– (प्रतिमान्य क्वार्ट बोतल 750 एम0एल0) से अधिक की ई0डी0पी0 की मदिरा की बिकी करेगा। एफ0एल0–05(एम)/एफ0एल0–5 (डीएस)/5(ए०एस०) से किसी भी धारिता की बोतलों में बिकी की जा सकेगी, रूपये 400/– प्रति बोतल (750 एम0एल0) ई0डी0पी0 की गणना उक्त धारित के 750 एम0एल0 प्रति मान्य क्वार्ट बोतल के समतुल्य आधार पर की जायेगा। दुकान के परिसर में मदिरापान निषिद्ध होगा।
विक्रय मूल्य	13	विदेशी शराब की बोतलों के लेबिलों पर राज्य सरकार की अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अधिकतम् फुटकर विक्रय मूल्य से कम दर पर मदिरा की बिकी नहीं करेगा। अर्थात्–एफ0एल0–05 (एम)/ एफ0 एल0–5 (डीएस) में न्यूनतम बिकी मूल्य रहेगा।	विदेशी शराब की बोतलों के लेबिलों पर राज्य सरकार की अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अधिकतम् फुटकर विक्रय मूल्य से कम दर पर मदिरा की बिकी नहीं करेगा। अर्थात् एफ0एल0–05(एम)/ एफ0एल0–5 (डीएस)/ 5(ए०एस०) में न्यूनतम बिकी मूल्य रहेगा।
मदिरा की बिकी एवं बारकोड की व्यवस्था	14	प्रीमियम रिटेल वैण्डस् शॉपिंग मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर अनुज्ञापी यह सुनिश्चित करेगा कि शॉपिंग मॉल्स/ डिपार्टमेन्टल स्टोर पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत हो, जिसमें बारकोडिंग की व्यवस्था की साथ–साथ स्कैनर की व्यवस्था आवश्यक होगी, जिससे कम्प्यूटर द्वारा भी दुकान के स्टॉक का रखरखाव व बिलिंग सुनिश्चित हो सके।	प्रीमियम रिटेल वैण्डस् शॉपिंग मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर/हवाई अड्डा में स्थित दुकान अनुज्ञापी यह सुनिश्चित करेगा कि शॉपिंग मॉल्स/ डिपार्टमेन्टल स्टोर/हवाई अड्डा में स्थित दुकान पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत हो, जिसमें बारकोडिंग की व्यवस्था की साथ–साथ स्कैनर की व्यवस्था आवश्यक होगी, जिससे कम्प्यूटर द्वारा भी दुकान के स्टॉक का रखरखाव व बिलिंग सुनिश्चित हो सके।

Scanned with CamScanner

		एफ0एल0–05(एम) / एफ0एल0–5 (डीएस) अनुज्ञापी बिलिंग काउन्टर के पास मदिरा विक्रय मूल्य की सूची आवश्यक रूप से लगायेगा तथा उसमें सभी ब्रॉण्डों की धारितावार विक्रय मूल्य अंकित करेगा।	एफ0एल0–05(एम) / एफ0एल0–5 (डीएस) / 5(ए०एस०) अनुज्ञापी बिलिंग काउन्टर के पास मदिरा विक्रय मूल्य की सूची आवश्यक रूप से लगायेगा तथा उसमें सभी ब्रॉण्डों की धारितावार विक्रय मूल्य अंकित करेगा।
बिक्री समय / दुकान बन्दी के दिवस	15	अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतन्त्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और लाईसेंस अधिकारी द्वारा बन्दी के लिये यथा अधिसूचित दिवसों के अतिरिक्त सभी दिनों में राज्य सरकार द्वारा बारों हेतु निर्धारित समय तक खुला रहेगा। लाईसेंस प्राधिकारी कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित गतिविधियों के लिये सुसंगत कानूनों के प्रावधानों के अधीन **"प्रीमियम रिटेल वैण्डस"** शॉपिंग मॉल्स की बन्दी का आदेश दे सकेगा। परन्तु यह कि प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिंग मॉल्स/ डिपार्टमेन्टल स्टोर की बन्दी के लिये कोई प्रतिकर की धनराशि देय नहीं होगी।	अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतन्त्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और लाईसेंस अधिकारी द्वारा बन्दी के लिये यथा अधिसूचित दिवसों के अतिरिक्त सभी दिनों में शॉपिंग माल्स तथा डिपार्टमेंटल स्टोर हेतु राज्य सरकार द्वारा बारों हेतु निर्धारित समय तथा हवाई अड्डों में स्थिति दुकाने एयरपोर्ट के संचालन की अवधि में खुली रहेगी। लाईसेंस प्राधिकारी कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित गतिविधियों के लिये सुसंगत कानूनों के प्रावधानों के अधीन **"प्रीमियम रिटेल वैण्डस"** शॉपिंग मॉल्स / डिपार्टमेन्टल स्टोर / हवाई अड्डा में स्थित दुकान की बन्दी का आदेश दे सकेगा। परन्तु यह कि प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिंग मॉल्स / डिपार्टमेन्टल स्टोर / हवाई अड्डा में स्थित दुकान की बन्दी के लिये कोई प्रतिकर की धनराशि देय नहीं होगी।

प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिंग मॉल्स / डिपार्टमेन्टल स्टोर / हवाई अड्डा में स्थित दुकान के निर्गत् होने वाले अनुज्ञापन व शर्तों में हवाई अड्डा में स्थित दुकान हेतु आवश्यक संशोधन आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

(सचिन कुर्वे)
सचिव।

Scanned with CamScanner